



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY

Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

vc@mkggaugkp.ac.in www.mkggaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819



Ref. सं० / AULA116/MGGAU/ 2026-27 /

Date: 08/05/26

—सम्बद्धता आदेश—

असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं० 420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ, दिनांक 12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं० 76/79-वि-1-21-2(क)-1-2021 लखनऊ दिनांक 09.01.2021 द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर अधिनियम-2020 के अध्याय-2 की धारा-5(घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कॉलेज कोड संख्या AULA116 अर्न्व आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं सी.एन. एस. आयुर्वेदिक चिकित्सालय सतरिख, हरख रोड, सतरिख, बाराबंकी द्वारा आनलाइन भरे गये सम्बद्धता फार्म तथा मा० कुलपति जी द्वारा प्राप्त अनुमोदन दिनांक- 30.04.2026 के आधार पर मा० कार्य परिषद के सहमति की प्रत्यक्षा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2026-27 हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान कि जाती हैं—

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट
1.	बी.ए.एम.एस.	60 सीट स्नातक

सम्बद्धता की शर्तें निम्नवत् होंगी —

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.), आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उ०प्र० शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था द्वारा सत्र-2026-27 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा सत्र-2026-27 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा अथवा यदि सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से बढ़ी हुई सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा।
- संस्था को एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तो तीन दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा कालेज का निरीक्षण कभी भी कराया जा सकता है।
- एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि संस्था को मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2026-27 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटों कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2026-27 का सम्बद्धता आदेश एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.)।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, आयुष उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम व मूल्यांकन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. परीक्षा नियंत्रक, आयुष विश्वविद्यालय के अवलोकनार्थ।
- ✓ 8. प्रधानाचार्य/संचालक अर्नव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं सी.एन.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सालय सतरिख, हरख रोड, सतरिख, बाराबंकी।
9. निजी सचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव



Ref...सं०/ AULA116 / MGAU / 2024-2025 / 1333

Date...18/02/25.....

—: सम्बद्धता आदेश :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि0-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 के धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AULA116 अर्नव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं सी.एन.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सालय सतरिख हरख रोड, सतरिख, बाराबंकी द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन एवं निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक-23.01.2025 में किये गये संस्तुति के आधार पर मा० कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2025-2026 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बी० ए० एम० एस०	60 सीट

सम्बद्धता की शर्तें-

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा सत्र 2025-2026 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन०सी०आई० एस०एम० नई दिल्ली द्वारा सत्र 2025-2026 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा अथवा कालेज के द्वारा आवेदित सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय से बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।
5. संस्था को एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तीन दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा।
6. एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि संस्था को मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटें कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश एन० सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव

संख्या-1333, /सं0/AULA116/MGGAU/2024-2025

दिनांक:- 18/02/25

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
02. अध्यक्ष, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
03. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
04. प्रमुख सचिव, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
05. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
06. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
07. परीक्षा नियंत्रक, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- ✓ 08. प्रधानाचार्य/संचालक, अर्नव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं सी.एन.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सालय सतरिख हरख रोड, सतरिख, बाराबंकी।
- ✓ 09. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

M vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref. सं०/AULA116/MGGAU/2024-2025/

Date:.....

:- सम्बद्धता आदेश :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि०-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AULA116 अर्नव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं सी.एन.एस. आयुर्वेदिक चिकित्सालय सतरिख हरख रोड, सतरिख, बाराबंकी द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन एवं सत्र 2023-2024 हेतु कराये गये निरीक्षण में प्राप्त आख्या दिनांक-02.03.2024 एवं कालेज के संचालक व प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत नोटराइज्ड शपथ पत्र के आधार पर मा० कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2024-2025 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बी० ए० एम० एस०	60 सीट

सम्बद्धता की शर्तें-

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा सत्र 2024-2025 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन०सी० आई०एस०एम० नई दिल्ली द्वारा सत्र 2024-2025 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा अथवा कालेज के द्वारा आवेदित सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय से बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करेगा।
5. संस्था को एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तीन दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा।
6. एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि किसी संस्था को मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2024-2025 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटें कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2024-2025 का सम्बद्धता आदेश एन०सी०आई०एस०एम० नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(आर० बी० सिंह)
कलसचिव



संख्या- 409 / सं० / AULA116 / MGGAU / 2024-2025

दिनांक:- 06/07/24

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ✓ 7. प्रधानाचार्य/संचालक, अर्नव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं सी.एन.एस.आयुर्वेदिक चिकित्सालय सतरिख हरख रोड, सतरिख, बाराबंकी।
8. निजी सचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

 6/7/24
(आर० बी० सिंह)
कुलसचिव